

प्रेस नोट दिनांक-31.10.2020

(1). 30प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं महिला कल्याण व बाल विकास के लिए चलाये जा रहे महाअभियान मिशन शक्ति के तहत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक-31.10.2020 एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा महामति प्राणनाथ महाविद्यालय मऊ में, एण्टी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा सिलाई सेन्टर में, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं अन्य थानों की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा ग्रामों, बाजारों, बस स्टैण्ड, प्रमुख चौराहों, कोचिंग सेण्टर, में जाकर छात्राओं/बालिकाओं/महिलाओं को वूमन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया। महिलाओं एवं बालिकाओं से वार्ता कर उनके अन्दर के आत्मविश्वास को बढ़ाया गया एवं महिला अधिकारों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया। एण्टी रोमियो टीमों द्वारा आवारा रूप से घूम रहे संदिग्ध लड़कों से पूछताछ की गयी तथा चेककर हिदायत दी गयी।

(2). आज दिनांक-31.10.2020 को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयन्ती पर श्री अंकित मित्तल अधीक्षक चित्रकूट द्वारा पुलिस कार्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए तथा कार्यालय में नियुक्त समस्त अधि0/कर्मचारीगणों को राष्ट्रीय एकता अखण्डता की शपथ दिलायी गयी।

इस अवसर पर श्री प्रकाश स्वरूप पाण्डेय अपर पुलिस अधीक्षक, श्री सुबोध कुमार गौतम क्षेत्राधिकारी मऊ, प्रतिसार निरीक्षक, प्रभारी यू0पी0 112, वाचक पुलिस अधीक्षक, प्रधान लिपिक, प्रभारी आंकिक शाखा, प्रभारी डीसीआरबी, प्रभारी मीडिया सेल, पीआरओ0 पुलिस अधीक्षक एवं कार्यालय में नियुक्त समस्त अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(3). आज दिनांक-31.10.2020 को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयन्ती के अवसर पर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी लाइन्स/नगर श्री रजनीश कुमार यादव द्वारा पुलिस लाइन्स में तथा जनपद के समस्त थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किये तथा राष्ट्रीय एकता दिवस पर अपने अधीनस्थ नियुक्त समस्त अधि0/कर्मचारीगणों को राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता की शपथ दिलायी गयी।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री अरुण कुमार पाठक प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी के मार्गदर्शन में 30नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त विजय पुत्र गिरधारी निवासी डिलौरा थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट को 65 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

65 क्वार्टर देशी शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. 30नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह थाना कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी जलील अहमद

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री अरुण कुमार पाठक प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी के मार्गदर्शन में श्री दिनेश कुमार सिंह चौकी प्रभारी जिला अस्पताल तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 233/2020 धारा 363/366/376 भादवि0 व 06 पोक्सो

एक्ट के वांछित अभियुक्त मनीष आरख उर्फ अरुण आरख पुत्र बगड़ उर्फ श्रीराम निवासी टेढ़ा सुमेरपुर थाना कोतवाली कर्वी को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. श्री दिनेश कुमार सिंह चौकी प्रभारी जिला अस्पताल
2. आरक्षी लवलेश यादव

(6). 30.10.2020 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत श्री प्रदीप कुमार मिश्रा अपर सत्र न्यायाधीश रेप एवं पोक्सो कोर्ट द्वारा दिनांक- 30.10.2020 को मु0अ0सं0 297/15 धारा 376/34/452/506 भादवि0 व 04 पोक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में नामित अभियुक्तों का सजा सुनाई गयी।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रूप से गवाहों को पेश कराने हेतु स्पष्ट निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया व पैरोकार आरक्षी ओवेश खान द्वारा कड़ी मेहनत कर प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ को पैरवी हेतु चिन्हित मुकदमा में समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ आनन्द द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो द्वारा थाना मऊ के मु0अ0सं0 297/15 धारा 376/34/452/506 भादवि0 व 04 पोक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में नामित अभियुक्त विजय केवट पुत्र रामअभिलाश केवट (2) रामलखन पुत्र शिवबाबू केवट निवासीगण सुहेल थाना मऊ जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास से एवं 37000/-37000/- रुपये के आर्थिक दण्ड तथा अर्थ दण्ड न अदा करने पर 06-06 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।

(7). आज दिनांक 31.10.2020 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा एक बार फिर पति-पत्नि के झगड़े को समाप्त कराकर आपस में सुलह कराते हुये परिवार को टूटने से बचाया।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती हेमलता उर्फ पिकी पत्नी अवधकिशोर निवासी तरौंहा जगदेवदास का अखाड़ा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके पति श्री अवधकिशोर शराब पीकर उनके साथ मारपीट करते हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र में नियुक्त मुख्य आरक्षी अरुण कुमार व महिला आरक्षी मंजूलता पाल द्वारा श्रीमती हेमलता उर्फ पिकी की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर उसने पति श्री अवधकिशोर से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस अधीक्षक कार्यालय बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों ने विवाद न करने की बात कही तथा पति श्री अवधकिशोर द्वारा अपनी पत्नी से दुबारा मारपीट न करने की बात कही गयी। इस पर दोनों पक्षों में आपस में सुलह की गयी। सुलह होने पर पुलिस द्वारा दोनों को साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर तथा दोनों पति-पत्नी को पति-पत्नी के कर्तव्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में प्रभावी पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रूप से गवाहों को पेश कराने हेतु स्पष्ट निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अरुण कुमार पाठक एवं पैरोकार आरक्षी आनन्द कुमार द्वारा कड़ी मेहनत कर मुकदमा में समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। अभियोजन अधिकारी श्री जगतपाल द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणाम स्वरूप श्री सतीश चन्द्र द्विवेदी न्यायाधीश विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी के मु0अ0सं0 712/13 धारा 452/323/504/506 भादवि0 व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट के आरोपित अभियुक्त (1) रामबाबू (2) रविन्द्र (3) मिठाईलाल (4) भोला पुत्रगण बोखउवा निवासीगण पूरम का पुरवा

मजरा रसिन थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास से एवं 8000/-8000/- रुपये के आर्थिक दण्ड तथा अर्थ दण्ड न अदा करने पर 01-01 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।

(9). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रूप से गवाहों को पेश कराने हेतु स्पष्ट निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया व पैरोकार आरक्षी प्रदीप कुमार द्वारा कड़ी मेहनत कर मुकदमा में समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। अभियोजन अधिकारी श्री कपिल त्रिपाठी द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणाम स्वरूप श्री सुमित कुमार न्याययिक मजिस्ट्रेट मऊ द्वारा थाना मऊ के मु0अ0सं0 342/09 धारा 279/337/304ए भादवि0 नामित अभियुक्त रामप्रकाश पुत्र शिवगणेश निवासी भैरमपुरथाना रैपुरा जनपद को डेढ़ वर्ष के कारावास से एवं 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(10). आज दिनांक 31.10.2020 को पुलिस लाईन्स सभागार में प्रतिसार निरीक्षक श्री सुमेर सिंह द्वारा पुलिस विभाग में अपनी सेवा पूर्ण करने वाले अधिकारी/कर्मचारीगणों को शॉल एवं माला पहनाकर तथा प्रशस्ति पत्र देकर भावभीनी विदायी गयी। इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक महोदय द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे 30नि0 श्री शिवकुमार एवं आरक्षी अरूण कुमार मिश्रा को हल्का नास्ता करवा कर मुह मीठा करवाया गया। सेवानिवृत्त हुये सभी अधिकारी/कर्मचारीगणों को कहा गया कि घर जाकर स्वास्थ्य का ध्यान रखें रहें एवं निरन्तर व्यायाम करते रहें।